महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर, राजस्थान पिन कोड: 334004

क्रमांक :प-4 ( )/मगसविबी/सा.प्र./विभिन्न निविदा /2018/ - 20979 **दिनांक :** 04/10/18

ई-निविदा ज्ञापन संख्या 02/2018-19

विश्वविद्यालय में निम्न सामग्री/सेवा की आपूर्ति हेतु सक्षम पंजीकृत फर्मों से ई- प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के अंतर्गत डबल बिड सिस्टम से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	धरोहर राशि (रु. में)	अवधि
1.	विश्वविद्यालय में फर्नीचर आपूर्ति	30.00	60,000	02 वर्ष
2.	विश्वविद्यालय में किराए पर वाहन व्यवस्था	20.00	40,000	01 वर्ष

तकनीकी बिड उन्हीं निविदादाताओं की खोली जाएगी, जिनके द्वारा दिनांक 25.10.18 को अपरान्ह: 01:30 बजे तक निविदा शुल्क की राशि यथा रु.400/- एवं निर्धारित धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट्स कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह, विश्वविद्यालय, बीकानेर के नाम (बीकानेर में देय) तथा ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क राशि रुपए 1,000/- का डिमांड ड्राफ्ट M.D. R.I.S.L, जयपुर (जयपुर में देय) के नाम से कुलसचिव कार्यालय को प्राप्त हो जायेंगे। अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में निविदा प्राप्त कर ऑनलाइन खोली जायेगी । निविदाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी दिनांक 06.10.18 प्रात: 10:00 बजे से वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट www.mgsubikaner.ac.in तथा स्टेट पोर्टल http: //sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगी ।

कुलसचिव

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर–334004(राजस्थान) भारत

1/15

तकनीकी बिड 20979/04.10.18

निविदा क्रमांक दिनांक

महाराजा गंगासिंह विष्वविद्यालय, बीकानेर में मासिक एवं दैनिक आधार पर/मांग पर वाहन (टैक्सी/पब्लिक यूटीलिटि परमिट सहित) उपलब्ध करवाने हेतु निविदा की शर्तें

आवश्यक टिप्पणी :– निविदाकार को निविदा में अपनी दर देते समय इन शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिये।

1- ऑनलाइन निविदा प्रपत्र /बिड डॉक्यूमेंट मिलने की (डाउनलोड करने की) समयावधि :-

06.10.18 प्रात: 10:00 बजे से 25.10.18 को पूर्वान्ह : 11:00 बजे तक।

2- ऑनलाइन निविदा प्रपत्र/बिड डॉक्यूमेंट अपलोड करने की समयावधि :-

06.10.18 प्रात: 10:00 बजे से 25.10.18 को अपरान्ह: 1:00 बजे तक।

3- ऑनलाइन निविदा प्रपत्र की तकनीकी बिड के खोलने की तिथि व समय :-

25.10.18 को अपरान्ह: 02:00 बजे से। वित्तीय बिड खोलने की तिथि अलग से सूचित की जायेगी।

1. निविदा देने वाले का नाम ....
2. पूरा पता ....

   ....

   ....
3. संदर्भ ....
4. धरोहर राशि, निविदा शुल्क, तथा ई-निविदा शुल्क जमा राषि डिमांड ड्राफ्ट /दिनांक रसीद संख्या/दिनांक

   संलग्न है: ....

   ....
5. मैं/हम विष्वविद्यालय द्वारा जारी ई-निविदा सूचना संख्या..दिनांक.................

   ....तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं तथा अंकित शर्तों की पालना में सभी पृष्ठों पर हस्तारक्षर करते हैं।
6. परिवहन विभाग का आर.आर.टी./पंजीयन संख्या..संलग्न है।
7. धरोहर राशि, निविदा शुल्क तथा ई-निविदा शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट संलग्न है ।

निविदादाता के हस्तारक्षर मय सील

पूर्ण पता पता

14 Kuldeep Jain

कार्य विवरण

क्र.सं.	विवरण		
A	डिजायर (ए.सी)	(i)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक
		(ii)	किराया प्रति माह 1500 कि.मी. तक
		(iii)	प्रति दिन 150 कि.मी एवं 1500 कि.मी. प्रति माह से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराया
B	टवेरा/बोलेरो (ए.सी)	(i)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक
		(ii)	किराया प्रति माह 1500 कि.मी. तक
		(iii)	प्रति दिन 150 कि.मी एवं 1500 कि.मी. प्रति माह से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराया
C	इनोवा (ए.सी)	(i)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक
		(ii)	किराया प्रति माह 1500 कि.मी. तक
		(iii)	प्रति दिन 150 कि.मी एवं 1500 कि.मी. प्रति माह से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराया
D	मिनी बस (नॉन-ए.सी) (36 सीट)	(i)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक
		(iii)	प्रति दिन 150 कि.मी से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराया
	मिनी बस (नॉन-ए.सी) (42 सीट)	(i)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक
		(iii)	प्रति दिन 150 कि.मी से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराया
E	ट्रक 17 फुट (5 टन)	(i)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक
		(iii)	प्रति दिन 150 कि.मी से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराया
	ट्रक 19 फुट (6 टन)	(i)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक
		(iii)	प्रति दिन 150 कि.मी से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराया

Kuldeep Jain

सामान्य शर्तें

1- उक्त निविदा के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त शासी उपक्रम/ राजकीय अधिकृत संस्थान में कार्य का अनुभव रखने वाली फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।

2- ~~डिजायर न्यूनतम दरदाता को प्राथमिकता दी जायेगी।~~

3. राजस्थान परिवहन अधिनियम/नियमों के अधीन पंजीकृत वाहनों के लिए ही निविदाएं मान्य होंगी।

4. विष्वविद्यालय द्वारा वाहन मांगने पर तत्काल (3 घण्टे में) उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

5. वाहन की प्रति किलोमीटर, प्रति दिन डीजल सहित दरें देनी होगी। दरें स्पष्ट पठनीय अंकों व शब्दों में बिना कांट–छांट देनी होगी। निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 40,000/– धरोहर राषि बैंकर्स चैक/डीडी द्वारा ''कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विष्वविद्यालय, बीकानेर'' के नाम से जमा करवानी होगी।

6. अर्नेस्टमनी, निविदा शुल्क, तथा ई-निविदा शुल्क के अभाव में निविदा पूर्णतया निरस्त मानी जाकर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. निविदा में वाछिंत प्रपत्रों को स्कैन कर अपलोड करना आवश्यक है ।

8. ऑन लाइन निविदा के साथ अपरिहार्य रूप से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेंगे ।

9. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

10. निविदा स्वीकृत होने पर 1,00,000/– रू. डीडी द्वारा प्रतिभूति राषि के रूप में '' कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विष्वविद्यालय, बीकानेर'' के नाम से जमा करवाने होंगे जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा उक्त राषि अनुबंध के सुचारू रूप से सम्पूर्ण होने के बाद नियमानुसार लौटाई जावेगी। निविदा के साथ जमा कराई गयी धरोहर राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी।

11. सफल निविदादाता को नियमानुसार देय राषि के नोन–ज्यूडिषियल स्टाम्प पर 10 दिवस में अनुबंध करना होगा ।

12. वाहन में किसी भी प्रकार की टूटफूट चालान चोरी तथा ऐक्सीडेंट होने पर उसके लिये वाहन मालिक ही उत्तरदायी होगा । विश्वविद्यालय की इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । तथा किसी भी प्रकार के मुआवजे इत्यादि की भरपायी विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जावेगी । वाहन मालिक ही पूर्ण रूपेण ही जिम्मदार होगा तथा मूआवजे की भरपायी करेगा।

13. वाहनों का उपयोग कार्यालय दौरों एवं परीक्षा सामग्री के परिवहन हेतु राजस्थान प्रदेष से बाहर भी किया जा सकेगा जिसका कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।

14. वाहन उपयोग हेतु स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा न ही अग्रिम रूप से भुगतान किया जायेगा। राज्य सरकार को नियमानुसार देय समस्त प्रभार/टैक्स, जी.एस.टी, टॉल टैक्स आदि का भुगतान स्वयं संवेदक द्वारा किया जायेगा।

Kuldeep Jain

15. प्रतिदिन की दर से किराये पर लिये गये वाहन हेतु 150 किमी तक न्यूनतम निर्धारित दर से भुगतान किया जाएगा एवं इससे से अधिक चलने पर अधिक किमी के लिये प्रति किमी की दर से भुगतान किया जाएगा। विश्वविध्यालय द्वारा बीकानेर से बाहर जाने हेतु प्रयोग में लिए गए वाहन का भुगतान यात्रा के कुल दिनों यात्रा के कुल दिनों को न्यूनतम कि.मी प्रतिदिन (150 कि.मी) की दूरी से गुणा करके या यात्रा के दौरान कुल तय की गयी दूरी में से जो भी ज़्यादा होगा के अनुरूप किया जाएगा।
16. अपेक्षित वाहन एवं वाहन चालक के समस्त कागजात नियमानुसार पूर्ण एवं अद्यतन होने चाहिए।
17. वाहन का पंजीकरण, बीमा संबंधी व्यय एवं ड्राईवर के लाइसेंस आदि की व्यवस्था संवेदक की होगी। यदि परिवहन विभाग द्वारा कोई पैनेल्टी लगाई जाती है तो उसके भुगतान का दायित्व संवेदक का होगा। समस्त दस्तावेजों (वाहन पंजीकरण, बीमा, रोड टैक्स, टोल टैक्स,ड्राईवर के लाइसेंस आदि) की प्रमाणित प्रतिलिपि कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
18. किसी भी यात्रित/परिस्थितिजन्य त्रुटि के कारण विश्वविद्यालय प्रयोजनार्थ की जा रही यात्रा में यदि विश्वविद्यालय को अतिरिक्त मूल्य वाहन की व्यवस्था करने पर वहन करना होता है तो उक्त राशि फर्म के बिल में से समायोजित की जावेगी ।
19. परीक्षा सामग्री की गोपनीयता बनाये रखने हेतु फर्म अथवा वाहन चालक या उसके प्रतिनिधी द्वारा रवाना होने, पहुचने, परिवहन की जाने वाली सामग्री एवं रूट आदि के विषय में किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी नहीं दी जावेगी ।
20. वाहन चालक को विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये समय पर ही परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सामग्री पहुचांने हेतु विशेष सर्तकता एवं गोपनीयता बरतनी होगी ।
21. अनुमोदित प्रदायक को यह सुनिश्चित करना होगा की प्रत्येक वाहन विश्वविद्यालय कार्य हेतु प्रयुक्त होना है में किलोमीटर रिंडिंग दर्शाने वाला मीटर सही ढंग से चल रहा है।
22. किसी स्थान विशेष की विश्वविद्यालय प्रयोजनार्थ यात्रा में यदि किलोमीटर रिंडीग असामान्य रूप से परिवर्तित होना प्रतीत होती है तो किमी का निर्धारण पीडब्लुडी/रोडवेज द्वारा प्रकाशित मानचित्र में अंकितानुसार किया जाकर भुगतान उसी अनुरूप किया जा सकेगा ।
23. अनुबन्ध की अवधि में किसी भी संविदा विरूद्व स्थिति फर्म द्वारा यदि उत्पन्न होती है अथवा निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पुरा किया है तो विश्वविद्यालय को फर्म की धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि को पूर्ण अथवा अंशत जब्त करने का अधिकारी सुरक्षित होगा ।

Kuldeep Jain

24. निविदा सूचना प्रपत्र में सलग्न समस्त शर्तों का पालन करने की सहमति देने के प्रमाण स्वरूप निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने है ।
25. निविदादाता द्वारा बिल मासिक रूप से प्रस्तुत करने होंगा । विश्वविद्यालय द्वारा फर्म को सामान्यतः भुगतान बिल में यदि को कमी नहीं हे तो बिल प्राप्त होने की तारीख से अधिकताम एक माहर की अवधि (अपरिहार्य परिस्थिति को छोडकर)में भुगातन कर दिया जायेगा ।
26. सफल निविदाकर अपनी निविदा अथवा उसके सारभूति किसी भी भग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौप सकेगा एवं नहीं किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा ।
27. वाहन पंजीयन टी. पी. जी अथवा यू श्रेणी का होना चाहिये ।
28. बयाना राशि निम्न परिस्थितयों जब्त कर ली जायेगी ।
    1 निविदा स्वीकृति वापस लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरीत कर देता है ।
    2 निर्धारित अवधि में करार का निष्पादन नहीं करता है ।
    3 निहित समय के भीतर आपूर्ति आदेश के अनुसार वाहन उपलब्ध कराने पर विफल रहता है ।
29. निविदा एंव अनुबंध के संबंध में अन्य शर्त अन्य नियम जिनका उल्लेख उपर नही किया गया है राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावघानों के अनुसार होगी ।
30. अन्य शर्तें/सुसंगत प्रावधान विश्वविद्यालय में अंगीकृत बजट, वित्तीय एवं लेखा नियम, 1997 में यथा वर्णितानुसार लागू होंगे।
31. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी
32. विवाद होने पर बीकानेर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जायेगा।
33. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रदद करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं।
34. वाहन बीकानेर से किसी गंतव्य स्थल पर जाने एवं वापस आने पर यात्रा में उपयोग होने वाले ईंधन एवं वाहन की मरम्मत सम्बन्धी समस्त व्यय संवेदक को वहन करने होंगे एवं डीज़ल की दरों में कमी /वृद्धि पर दरें प्रभावित नहीं होंगी।
35. यात्रा के दौरान वाहन चालक किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेगा तथा विधि एवं नियमों के विरूद्ध कोई कार्य नहीं करेगा।
36. वाहन की दुर्घटना होने पर वाहन एवं अन्य किसी पक्ष की क्षतिपूर्ति के लिए केवल संवेदक उत्तरदायी होगा तथा विष्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
37. मांग पर वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य वाहन की व्यवस्था निविदादाता की जिम्मेदारी पर की जावेगी, जिसकी अंतर राषि की वसूली संवेदक से की जावेगी।
38. विश्वविद्यालय में आपूर्तित वाहन का पंजीयन वर्ष 2013 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
39. विष्वविद्यालय परीक्षा का कार्य अतिमहत्वपूर्ण है। वाहन आपूर्ति के संबंध में निर्धारित समय एवं तिथियों का विषेष रूप से ध्यान रखना होगा।

Kuldeep Jain

40. गोपनीय कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा गोपनीयता बरते जाने की अण्डरटेकिंग देनी होगी।
41. विष्वविद्यालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देषों व उपबंधों की पालना करनी होगी।
42. कुलसचिव, वित–नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक एवं पूल अधिकारी के लिखित आदेश में अंकित वाहन ही उपलब्ध कराया जायेगा। तद्नुसार आदेशानुसार ही भुगतान किया जाएगा।
43. इस अनुबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों के सम्बन्ध में कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा जो अनुबंधकर्ता को बाध्यकारी होगा।
44. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा।
45. सषर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
46. यह अनुबंध करार की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगा जो कि विश्वविद्यालय एवं संवेदक की परस्पर सहमति से नियमानुसार आगे बढाया जा सकता है।
47. निविदा ई–प्रोक्योरमेंट साइट से डाउनलोड करके, हस्ताक्षर करके मय आवश्यक प्रपत्रों के स्कैन कॉपी स्कैन करके ई–प्रोक्योरमेंट साइट पर उपलब्ध करवानी होगी व वितिय बिड इसी साइट पर उपलब्ध वितिय बिड शीट में ऑनलाइन अंकित करनी होगी । वित्तीय बिड को स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाना है । भौतिक रूप से निविदा स्वीकार्य नहीं होगी ।
48. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी निविदा अपलोड नहीं की जा सकेगी । उक्त वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र मात्र अवलोकनार्थ डाले गये है ।

उपरोक्त क्र.सं 01 से 48 तक सभी शर्तें पूर्ण रूप से पढ़ ली हैं एवं समझ ली है तथा उक्त समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

निविदादाता के हस्तारक्षर मय सील

कुलसचिव
महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर–334004(राजस्थान) भारत

अनुलग्नक–''अ''

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Kuldeep Jain

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर–334004(राजस्थान) भारत

अनुलग्नक "ब"

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.................दिनांक.....................के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोषणा करते है कि

01. मै/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते है ।
02. मै/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते है ।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्षे में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रकिया से निष्कासित नही किया गया है ।
05. मै/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो ।

स्थान : ....

तारीख : ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

Kuldeep Jain

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर–334004(राजस्थान) भारत

(9)

अनुलग्नक "स"

निविदा प्रकिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.............कुलसचिव महाराजा गगांसिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.............कुलपति महाराजा गगांसिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लघन में हे तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगाः

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया हैः

परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वितिय बोली के मामले से सबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है ।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव शीध्र विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित हे तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितिय अपील दाखिल कर सकेगा ।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा ।
   अर्थातः
   कः उपापन की आवश्यकता का अवधारण
   ख बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध
   ग. यह विनिश्यक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं
   घ. निबन्धनों में उपापन प्रकिया का रद्दकरण
   ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।
4. **अपील का प्ररूप**.– (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
   (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

Kuldeep Jain

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. अपील फाइल करने के लिए फीस.–

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. अपील के निपटारे की प्रक्रिया.–

(1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Kuldeep Jain

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर–334004(राजस्थान) भारत

(11)

प्ररूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.... की अपील सं. ....

(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी) .... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(i) अपीलार्थी का नाम :..

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :..

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii) .

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

....

....

....

.... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना : ....

....

....

स्थान : ....

तारीख : ....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

Kuldeep Jain

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर–334004(राजस्थान) भारत

अनुलग्नक "द"

निविदा की अतिरिक्त शर्तें

1. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर,सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.**– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.–

(1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

3. . **अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन**.–

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जांये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से

२५ Kuldeep Jain

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर–334004(राजस्थान) भारत

(13)

विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्तारक्षर मय सील

Kuldeep Jain

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर–334004(राजस्थान) भारत

वित्तीय बिड निविदा क्रमांक दिनांक

महाराजा गंगासिंह विष्वविद्यालय, बीकानेर में मासिक/दैनिक आधार पर/मांग पर वाहन (टैक्सी/पब्लिक यूटीलिटि परमिट सहित) उपलब्ध करवाने हेतु हमारी दरें (सेवाकर एवं अन्य सहित) निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	विवरण			प्रस्तुत दर (डीज़ल एवं समस्त कर सहित)
A	डिजायर (ए.सी)	(i)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक	
		(ii)	किराया प्रति माह 1500 कि.मी. तक	
		(iii)	प्रति दिन 150 कि.मी एवं 1500 कि.मी. प्रति माह से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराया	
B	टवेरा/बोलेरो (ए.सी)	(i)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक	
		(ii)	किराया प्रति माह 1500 कि.मी. तक	
		(iii)	प्रति दिन 150 कि.मी एवं 1500 कि.मी. प्रति माह से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराया	
C	इनोवा (ए.सी)	(i)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक	
		(ii)	किराया प्रति माह 1500 कि.मी. तक	
		(iii)	प्रति दिन 150 कि.मी एवं 1500 कि.मी. प्रति माह से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराया	
D	मिनी बस (नॉन-ए.सी) (36 सीट)	(i)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक	
		(iii)	प्रति दिन 150 कि.मी से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराया	
	मिनी बस (नॉन-ए.सी) (42 सीट)	(i)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक	
		(iii)	प्रति दिन 150 कि.मी से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराया	
E	ट्रक 17 फुट (5 टन)	(i)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक	
		(iii)	प्रति दिन 150 कि.मी से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराया	
	ट्रक 19 फुट (6 टन)	(i)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक	
		(iii)	प्रति दिन 150 कि.मी से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराया	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
एवं पूरा पता